

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमनाई संस्था झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) -302004

विधान नियमावली

संस्था का नाम	इस संस्था का नाम "मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमनाई संस्था" है तथा रहेगा
पंजीकृत कार्यालय	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)-302004 है।
संस्था का कार्यक्षेत्र	संपूर्ण राजस्थान राज्य तक सीमित रहेगा।

1. परिभाषा

(क) "संस्था"	से अभिप्राय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमनाई संस्था है।
(ख) "छात्रावास"	से अभिप्राय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, जयपुर है।
(ग) "कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति"	से अभिप्राय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमनाई संस्था की कार्यकारी समिति से है।
(घ) "साधारण सभा"	से अभिप्राय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमनाई संस्था की साधारण सभा से है।
(ङ) "एलुमनस"(भूतपूर्व छात्र)	से अभिप्राय मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र में रहकर अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों या छात्रावासियों से है।
(च) "ओनरेरीमेम्बर"(HonoraryMember)	से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि संस्था की साधारण सभा द्वारा निर्वाचित या मनोनीत हो व संस्था का एलुमनस ना हो।
(छ) बैच	यहाँ बैच से तात्पर्य एक एलुमनस बैच के उन साथियों से है जिन्होंने मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र में स्नातक प्रथम

वर्ष में प्रवेश लिया है और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष पढ़ाई करके छात्रावास से पास आउट हो गये। (जैसे- छात्रावास में स्नातक, स्नातकोत्तर या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए छात्र प्रवेश लेते हैं। जिसमें मीना छात्रावास में प्रवेश अगर स्नातक प्रथम वर्ष 2000 में लिया है, या द्वितीय वर्ष 2001 में लिया है, या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 2003 में लिया है, या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष 2004 या इसके साथ सिविल सेवा परीक्षा देने हेतु प्रवेश 2004 में लिया हो तो बैच 2000-2005 माना जाएगा।)

(ज) बैच प्रतिनिधि

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र के प्रत्येक एलुमनस बैच द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि।

(झ) संस्था का वित्तीय वर्ष

संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर आने वाले वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

2. संस्था के उद्देश्य

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

- (1) संस्था का प्राथमिक उद्देश्य एलुमनस के आपसी सामंजस्य से छात्रावास को शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित करने में छात्रावास प्रबंधन का सहयोग करना, कठिन समय में एलुमनस के मध्य पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना और छात्र-छात्राओं विशेष रूप से आदिवासी एवं जन-जातीय छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इनके अतिरिक्त इस संस्था के निम्नलिखित आनुषंगिक उद्देश्य रहेंगे।
- (2) गरीबों को राहत।
- (3) चिकित्सकीय सहायता।
- (4) पर्यावरण संरक्षण।

(5) सार्वजनिक उपयोगिता एवं कल्याण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गतिविधियों का कार्यक्षेत्र:-

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे;

- (1) एलुमनस के पारस्परिक सामंजस्य से छात्रावास के उचित प्रबंधन और विकास में सहयोग करना जिससे छात्रावास को विश्वस्तरीय शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकें। छात्रावास के आधुनिकरण एवं विकास के लिए समय-समय पर सुझाव और मंत्रणा आमंत्रित करना एवं सुझावों को छात्रावास प्रबंधन की सहमति से अमल में लाना।
- (2) जनजाति छात्र-छात्राओं के उत्थान के लिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विविध प्रकार के कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना। एलुमनस के आवश्यक सुझाव, परामर्श, सहायता से जनजाति छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- (3) शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिविरों एवं प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन करना, गरीब, व असहाय प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का चयन करके उन्हें उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना, जरूरी आर्थिक सहायता, पाठ्य सामग्री, उपयुक्त वातावरण आदि की व्यवस्था करना। इस प्रकार के योग्य छात्र-छात्राओं का चयन कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसको समय-समय पर आम सभा की मीटिंग में स्वीकृत करवाया जाएगा।
- (4) जनजाति सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से संबंधित शोध व अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना। शिक्षा, खेलकूद, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, सिनेमा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के विकास के लिए हर संभव सहायता करना तथा संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित करना।
- (5) प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त एलुमनस द्वारा छात्रावास एवं अन्य अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में प्रशिक्षण कार्यशालाओं, मार्ग-दर्शन शिविरों (सेमिनार) का आयोजन करवाना। छात्रावास के

विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक (योगा इत्यादि) विकास के लिए छात्रावास प्रबंधन के सहयोग से प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- (6) छात्रावास में कोचिंग क्लासेस, सेमिनार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर एजुकेशन इत्यादि की छात्रावास प्रबंधन के सहयोग से व्यवस्था करना एवं “एक परिसर-सभी-सुविधाएं” (one campus-all facilities) के तर्ज पर छात्रावास को विकसित करना। छात्रावास परिसर में शिक्षा के नवाचारों एवं तकनीकी बदलावों को सुनिश्चित करना जिससे छात्रावास एवं समाज के विद्यार्थी वैश्विक स्तर की शिक्षा के साथ कार्य योग्य बनें।
- (7) संस्था द्वारा अर्ध-वार्षिक या वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन जिसमें पूर्व छात्रों एवं वर्तमान छात्रों की साहित्यिक कृतियां, वर्तमान परिपेक्ष्य पर लेख, छात्रों की उपलब्धियां, छात्रावास एवं छात्रों के भविष्य की संभावनाओं पर लेखों के साथ-साथ समाज के किसी व्यक्ति द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के बारे में प्रकाशन किया जाएगा।
- (8) छात्रावास के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (पूर्व और अध्ययनरत छात्रों)को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसमें मुख्यतया छात्रावास फीस, कोचिंग व मैस से संबंधित खर्चे शामिल हो। इस प्रकार के योग्य छात्र का चयन कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा जिसको कि समय-समय पर आम सभा की मीटिंग में स्वीकृत करवाया जाएगा।
- (9) छात्रावास में अध्ययनरत छात्र या एलुमनस (आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर) को आकस्मिक विपत्ति के समय संस्था द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इस प्रकार के योग्य छात्र का चयन कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा जिसको समय-समय पर आम सभा की मीटिंग में स्वीकृत करवाया जाएगा।
- (10) एलुमनस के आर्थिक सहयोग से सामान्य गरीब जनता के लिए विशेष सहायता मुहिम चलाना- जैसे सर्दियों में कंबल कपड़े इत्यादि बांटना, खाना खिलाना, दिव्यांगों की मदद करना, या अन्य किसी प्रकार से आर्थिक सहायता।

- (11) पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान के प्रति छात्र-छात्राओं तथा लोगों को जागरूक करना। खेलकूद/क्रीड़ा क्षेत्र में विकास के लिए युवा शक्ति को जागरूक करना तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव संसाधन उपलब्ध करवाना ।
- (12) छात्रावास प्रशासन की सहायता से ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेक-अप कैंप इत्यादि की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सेमिनारों एवं कैंपों का आयोजन करना।
- (13) सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए आपसी मिलन समारोह का आयोजन करना। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष 25 सितंबर को छात्रावास की स्थापना की वर्षगांठ पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (14) समाज में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें प्रेरित करने के लिए उचित मंच व मार्गदर्शन देना तथा बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विविध प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा समय-समय पर एक्सपर्ट टीम बुलाकर सेमिनार का आयोजन करना।
- संस्था किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी तथा संस्था के सभी सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था पूर्णरूप से गैर-राजनीतिक रहे तथा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहते हुए, समाज व अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पूर्ण प्रशिक्षण, सहायता आदि उपलब्ध करवाकर उन्हें उच्च स्तर पर पहुँचाने का कार्य करें। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

4. संरक्षक

(1) माननीय श्री किशनलाल जी मीना, (रिटायर्ड आई.पी. एस) संस्था के जीवनपर्यंत संरक्षक बने रहेंगे।

(2) संस्था का एक संरक्षक होगा जोकि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। संरक्षक अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति जोकि प्रशासनिक सेवा, प्रोफेशन या समाज सेवा से जुड़े विषेश क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखता हो तथा जो संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने को कटिबद्ध हो। वह व्यक्ति सभी प्रकार के वाद-विवाद से परे हो एवं किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी या संस्था से जुड़ा न हो। संरक्षक की नियुक्ति या मनोनयन साधारण सभा की मीटिंग में अनुमोदित की जाएगी और अधिकतम 3 वर्ष तक रहेगी। कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात संरक्षक की पुनर्नियुक्ति साधारण सभा के द्वारा बहुमत से किया जा सकेगा।

5. सदस्यता

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे-

(1) भारत का नागरिक।

(2) बालिग हों।

(3) पागल व दिवालियापन नहीं हों।

(4) छात्रावास का एलुमनस हो।

(5) संस्था के उद्देश्यों में सकारात्मक रुचि व आस्था रखते हों।

(6) संस्था के लिए प्राथमिक तौर पर 1100/- रुपये की राशि प्रदान की हो। संस्था की सदस्यता शुल्क फीस व जमा करने का तरीका समय-समय पर साधारण सभा की मीटिंग में बहुमत से सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस संबंध में छात्रावास प्रशासन की राय भी ली जाएगी।

(7) संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हो।

6. ओनेररी सदस्य (Honorary Member)

छात्रावास प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी (वार्डन, केयर टेकर, मेस इंचार्ज, सेक्युरिटी इंचार्ज इत्यादि) संस्था के ओनेररी सदस्य होंगे जिसका निर्धारण साधारण सभा समय-समय पर करेगी तथा इस प्रकार के सदस्यों को साधारण सभा की मीटिंग में अपना मत देने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों के अधिकार

(1) संस्था के सभी सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों, एलुमनी न्यूज लेटर एवं वार्षिक पत्रिका एवं घोषणाओं (वेबसाइट एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये) की जानकारी के हकदार होंगे। संस्था के सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन एवं अन्य गतिविधियों में सहभागिता कर सकेंगे। सभी सदस्य संस्था द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न स्कीम और सहायता प्रोग्रामों के हकदार होंगे।

8. संस्था/संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे

- (1) संरक्षक
- (2) उप-संरक्षक
- (3) साधारण सभा
- (4) कार्यकारी समिति

उपरोक्त पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया एवं उनके कर्तव्य आने वाले पैराग्राफ में उल्लिखित किए गए हैं।

9.

(1) **संरक्षक :-** संस्था का संरक्षक उपरोक्त पैरा नं. 4 में उल्लिखित व्यक्ति होगा।

(2) **उप-संरक्षक:-** ऐसा व्यक्ति जोकि गवर्नमेंट सेक्टर, इंडस्ट्री या सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो तथा संस्था का एलुमनस हो तथा जिसको संस्था की कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा

मनोनीत किया जाए तथा साधारण सभा के बहुमत द्वारा अनुमोदित हो। उप-संरक्षक पर किसी प्रकार के प्रशासनिक दायित्व नहीं होंगे; वह केवल संस्था के एम्बेसेडर के रूप में कार्य करेगा। उप-संरक्षक की नियुक्ति/मनोनयन एक बार में एक वर्ष के लिए किया जाएगा।

10. साधारण सभा:-

(क) साधारण सभा पैरा नं. 5 एवं 6 में उल्लिखित संस्था के सदस्यों से मिलकर बनी होगी।

(ख) साधारण सभा पिछले वर्ष की गतिविधियों, बजट खर्च, आने वाले वर्ष की गतिविधियों की कार्ययोजना, खातों को मंजूरी, ओडिटर की नियुक्ति, लीगल एडवाइजर की नियुक्ति के साथ-साथ अध्यक्ष के द्वारा रखी जाने वाली रिपोर्ट पर मंत्रणा करेगी। साधारण सभा कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों का चयन करेगी।

(ग) साधारण सभा की एक अनिवार्य वार्षिक मीटिंग हर वर्ष के सितंबर महीने के अंतिम शनिवार या फिर 25 सितंबर (छात्रावास स्थापना दिवस) को सुनिश्चित होगी तथा मीटिंग की तिथि एवं समय में बदलाव सभी सदस्यों को कम से कम 30 दिन पहले सूचित किया जाएगा। साधारण सभा की यह मीटिंग वार्षिक साधारण मीटिंग कहलाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

1. गत वर्ष के आय-व्यय के लेखा-जोखा का विवरण/अनुमोदन।
2. नए पदाधिकारियों का परिचय।
3. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के नए सदस्यों का चयन।
4. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा एवं पुष्टि करना।
5. लेखा परीक्षक की नियुक्ति। (यदि आवश्यक हो)।
6. कानूनी विशेषज्ञ या किसी अन्य विशेषज्ञ की नियुक्ति (यदि आवश्यक हो)।

(घ) अध्यक्ष या सचिव संस्था के 50 सदस्यों (कम से कम 7 अलग-अलग एलुमनस बैंचों से हों) के लिखित अनुरोध या कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति (कम से कम 7 बैंचों के बैच प्रतिनिधियों को मिलाकर) के लिखित अनुरोध पर साधारण सभा की विशेष मीटिंग 15 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकेगी। इस प्रकार की मीटिंग से पूर्व नोटिस के साथ मीटिंग का एजेंडा भी सदस्यों को सूचित किया जाएगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 50 सदस्यों में से कोई भी 15 सदस्यों (कम से कम 5 एलुमनस बैच के बैच प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अनिवार्य) के हस्ताक्षर से नोटिस जारी किया जा सकेगा तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

(ङ) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य या 75 सदस्य (जो भी कम हो।) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 15 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वह ही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।

(च) सभा में चुनाव प्रक्रिया के लिए कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष सभा का प्रिसाइडिंग ओफिसर होगा सभी प्रकार के कार्य निष्पादन साधारण सभा में बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। बहुमत की गणना सभा में उपस्थित लोगों के मतों से होगी। किसी भी स्थिति में यदि मतदान के समय पक्ष-विपक्ष में मतों में समानता पाई जाती है तो प्रिसाइडिंग ओफिसर का मत निर्णायक मत होगा।

(छ) यदि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा यह पाया जाता है कि संस्था का सदस्य या मनोनीत सदस्य संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वह उन की सदस्यता को भंग करने के लिए साधारण सभा को अनुसंशा भेजेगी तथा साधारण सभा उपस्थित लोगों के बहुमत से उसका निर्णय करेगी तथा सचिव रिटर्निंग ओफिसर होगा।

11. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा,जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे-

- (1) **अध्यक्ष-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** का एक अध्यक्ष होगा जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए सदस्य का कम से कम 15 वर्ष से एलुमनस होना अनिवार्य होगा।
- (2) **उपाध्यक्ष-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** के दो उपाध्यक्ष होंगे जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए सदस्य का कम से कम 10 वर्ष से एलुमनस होना अनिवार्य होगा।
- (3) **सचिव-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** का एक सचिव होगा जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। सचिव पद की उम्मीदवारी के लिए सदस्य का कम से कम 10 वर्ष से एलुमनस होना अनिवार्य होगा।
- (4) **संयुक्त सचिव- कार्यकारिणी एवं प्रबंधन** के दो संयुक्त सचिव होंगे जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवारी के लिए सदस्य का कम से कम 5 वर्ष से एलुमनस होना अनिवार्य होगा।
- (5) **कोषाध्यक्ष-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** का एक कोषाध्यक्ष होगा जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए सदस्य का कम से कम 5 वर्ष से एलुमनस होना अनिवार्य होगा।
- (6) **मीडिया प्रभारी-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** का एक मीडिया प्रभारी- होगा जोकि साधारण सभा के बहुमत के आधार पर चुना जाएगा।
- (7) **कार्यकारी सदस्य-कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति** का चार कार्यकारी सदस्य होंगे जोकि साधारण सभा का बहुमत के आधार पर चुने जाएंगे।
- (8) **बैच प्रतिनिधि-प्रत्येक बैच** द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

इस प्रकार कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति में 12 पदाधिकारी व प्रत्येक बैच से दो-दो बैच प्रतिनिधि होंगे।

12. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का निर्वाचन व संगठन:-

- (1) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति में दो प्रकार के सदस्य होंगे एक जो साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होंगे, इस प्रकार के सदस्य पैरा 10 के क्रम संख्या 1 से 6 तक में उल्लिखित हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। उपरोक्त सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
- (2) दूसरे प्रकार के सदस्य बैच प्रतिनिधि होंगे जोकि प्रत्येक एलुमनस बैच से दो सदस्य होंगे। बैच प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जोकि अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा। बैच प्रतिनिधि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बैच प्रतिनिधि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन जहां भी कोई योजनागत या नीति निर्धारण के निर्णय होंगे और जहाँ पर कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा बहुमत से फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें बैच प्रतिनिधियों के सुझावों एवं मतों की भी गणना होगी।
- (4) बैच प्रतिनिधि के पदों पर चुनाव लड़ने व मत देने का अधिकार संस्था के सदस्यों में से केवल उस बैच के सदस्यों को ही होगा बाकि अन्य सभी पदाधिकारियों के पदों पर चुनाव लड़ने व मत देने का अधिकार संस्था के सभी सदस्यों को होगा। बैच प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा बैच के सदस्यों के द्वारा की जाएगी इस प्रकार की प्रक्रिया में बैच के सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के अलावा ई-वोटिंग या ओनलाइन माध्यम से भी बहुमत के आधार पर भी बैच प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे। प्रत्येक बैच की जिम्मेदारी होगी कि साधारण सभा की मीटिंग या मीटिंग से पहले अपने बैच से दो प्रतिनिधि सर्व-सम्मति से चुने। यदि साधारण सभा की वार्षिक बैठक पूर्ण होने तक बैच अपने बैच प्रतिनिधि नहीं चुन पाता है तो सचिव की मोनिटरिंग में संबंधित बैच से

बैच प्रतिनिधियों का चुनाव करवाया जाएगा जोकि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया के पूर्ण होने के 7 दिनों के भीतर करवाया जाएगा।

- (5) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति संस्था के सभी कार्यकलापों का प्रबंधन बहुमत के आधार पर होगा। मतदान की प्रक्रिया में बैच प्रतिनिधियों का मत एकमत के रूप में गिना जाएगा। दोनों बैच प्रतिनिधियों के मत में विरोधाभास होने की स्थिति में ऐसे मत की गणना नहीं की जाएगी। यदि किसी भी प्रस्ताव या कार्य के पक्ष-विपक्ष में समान मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।
- (6) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य यदि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और उसके चुनाव लड़ने पर यदि 10 बैचों के बैच प्रतिनिधियों द्वारा लिखित में विरोध कर दिया जाता है, तो वह अगले कार्यकाल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होगा और उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तथा जिस सदस्य के नाम पर अगर बैच प्रतिनिधियों द्वारा विरोध नहीं किया जाता है तो उसे लगातार भी कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति में चुनने का मौका दिया जाएगा।
- (7) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति को किसी विशेष कार्य या आवश्यकता हेतु समय-समय पर नए सदस्य को-ओप्टेड करने या सब- समिति बनाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के को-ओप्टेड सदस्य या सब- समिति सदस्य बैच प्रतिनिधियों में से ही चुने जाएंगे। किसी भी सब-समिति में एक बैच से एक से अधिक बैच प्रतिनिधि का मनोनयन नहीं होगा।
- (8) कार्यकारी समिति में किसी सदस्य के मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारणवश जो रिक्त पद/वेकेंसी की स्थिति में कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा बैच प्रतिनिधियों में से योग्य व्यक्ति को नए मेंबर के रूप में को-ओप्ट किया जा सकेगा। और ऐसा व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का कार्यकारी सदस्य

रहेगा तथा सभी प्रकार की अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के समकक्ष ही कर सकेगा।

- (9) यदि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद किसी कारणवश रिक्त होते हैं तो कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति अपने कार्यकारी सदस्यों में से किसी सदस्य को रिक्त पद के लिए मनोनीत करेगी। इस प्रकार का मनोनयन बहुमत के आधार पर होगा जिसमें बैच प्रतिनिधियों का भी मत गिना जाएगा।
- (10) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति साधारण सभा के सदस्यों एवं बैच प्रतिनिधियों में से उचित सदस्यों की नियुक्ति संस्था के वार्षिक मेगजीन, न्यूज लेटर इत्यादि की प्रिंटिंग करने के लिए कर पाएगी।
- (11) बैच प्रतिनिधियों के चुनाव के पश्चात यदि उनका आचरण संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध रहता है तो कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर या संबंधित बैच के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष संबंधित बैच के सदस्यों की बैठक (प्रत्यक्ष या ओनलाइन बैठक) बुलाएगा तथा बहुमत के आधार पर प्रतिनिधि के बने रहने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा। समान मतों की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। बैच प्रतिनिधि को हटाने का उपरोक्त प्रस्ताव कम से कम 15 दिन के लिखित नोटिस जिसमें कि हटाए जाने का कारण स्पष्ट किया हो देने के पश्चात बुलाई गयी मीटिंग में निर्धारित किया जा सकेगा।
- (12) यदि बैच प्रतिनिधियों द्वारा यह पाया जाता है कि कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्यों (पैरा 10 के क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित सदस्य) का आचरण संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध है तो 2/3 बैच प्रतिनिधियों के लिखित अनुरोध पर साधारण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा तथा बहुमत के आधार पर प्रतिनिधि के बने रहने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा।

13. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे-

- (1) सदस्य बनाना/निष्कासित करने का प्रस्ताव साधारण सभा में रखना।
- (2) वार्षिक बजट तैयार करना ।
- (3) संस्था की चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा करना ।
- (4) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना।
- (5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को क्रियान्वित करना ।
- (6) कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।
- (7) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति संस्था की एकजीक्युटिव अथोरिटी होगी जोकि संस्था के सभी प्रकार के वित्त एवं कोष की जिम्मेदार होगी तथा संस्था के सभी प्रकार के योजना एवं कार्यकलापों का क्रियान्वयन करेगी।
- (8) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना ।
- (9) यदि कोई कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति का सदस्य (बैच प्रतिनिधि सहित) लगातार दो मीटिंग्स में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति ऐसे सदस्य को कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समितिसे बाहर कर सकती है।लेकिन अध्यक्ष किसी भी कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक बैच के कम से कम एक बैच प्रतिनिधि को समिति की बैठक में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
- (10) साधारण सभा की वार्षिक बैठक पूर्ण होने के 7 दिन के अंदर, कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समितिद्वारा समिति के पदाधिकारियों के नाम, पता, पद इत्यादि की सूची रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी, राजस्थान को जमा करवाने की जिम्मेदारी होगी।

14. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति की बैठकें :-

- (1) कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें अनिवार्य होंगी । जो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के दूसरे रविवार को होगी । लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा सात दिन के नोटिस पर कभी भी बुलाई जा सकती है जिसमें मीटिंग का एजेंडा भी संलग्न होगा। किसी आकस्मिक अथवा अत्यावश्यक कारण से मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- (2) बैठक का कोरम कार्यकारिणी/कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति की कुल संख्या के आधे (1/2) से अधिक होगा ।
- (3) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय

विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे-

(1) अध्यक्ष –

- i. बैठकों की अध्यक्षता करना।
- ii. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- iii. बैठकें आहूत करना।
- iv. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- v. संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्ष –

- i. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- ii. प्रबंध कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(3) सचिव –

- i. बैठकें आहूत करना।
- ii. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।
- iii. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
- iv. कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल पास करना।
- v. संस्था का प्रशासनिक प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना

- vi. पत्र व्यवहार करना ।
- vii. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों, सुनियोजित तरीके से करना ।
- viii. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के आदेशों /निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
- ix. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की सूचना जारी करना।
- x. किसी भी मुद्दे पर स्पष्टता हेतु अध्यक्ष की सलाह लेना।

(4) संयुक्त सचिव –

- i. सचिव के कार्यों में सहयोग एवं सहायता करना ।
- ii. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के पद में निहित शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।
- iii. समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ।
- iv. संस्था के लक्ष्यों के लिए कार्य करना ।

(5) कोषाध्यक्ष –

- i. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।
- ii. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
- iii. चंदा/शुल्क/अनुदार आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
- iv. संस्था की बकाया राशि एकत्रित करने का अधिकार।
- v. बैंक एवं लेखा-परीक्षक आदि से सामंजस्य स्थापित करना।
- vi. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

(6) मीडिया प्रभारी –

- i. मीडिया से संबंधित कार्यों का निर्वहन करना ।

- ii. समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ।
- iii. संस्था के लक्ष्यों के लिए कार्य करना ।

(7) कार्यकारी सदस्य-

- i. कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति के दैनिक क्रियाकलापों में सीधे तौर पर भाग लेना।
- ii. समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन और संस्था के लक्ष्यों के लिए कार्य करना।

(8) बैच प्रतिनिधि –

- i. अपने-अपने बैच का प्रतिनिधित्व करना व बैच की समस्या से संस्था को अवगत कराना ।
- ii. समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा अथवा कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ।
- iii. संस्था के लक्ष्यों के लिए कार्य करना ।

16. संस्था का कोष :-

संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी गैर राजनीतिक स्रोत से निम्न प्रकार के आर्थिक सहयोग स्वीकार कर सकती है।

- (1) चंदा
- (2) शुल्क
- (3) अनुदान
- (4) सहायता
- (5) राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि जो कि संस्था के नाम पर एकत्रित होगी वह कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति द्वारा निश्चित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र एवं एलुमनाई संस्था के नाम से जमा की जाएगी । 50000 रूपये तक की निकासी/लेन-देन अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जा सकेगी। 50000 रूपये से अधिक राशि के निकासी/लेनदेन के लिए अध्यक्ष के हस्ताक्षर की अनिवार्यता होगी।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार :-

संस्था के काम-काज के सुचारू संचालन के लिए कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति खर्च का निर्धारण करेगी तथा वह इस कार्य हेतु प्राधिकृत होगी। संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे-

- (1) अध्यक्ष :- 50,000/- रुपये
- (2) सचिव :- 20,000/- रुपये
- (3) कोषाध्यक्ष :- 5,000/- रुपये
- (4) 50000 रुपये से अधिक की राशि के व्यय के लिए अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (5) उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति से कराया जाना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का निवेश साधारण सभा की आने वाली सभा में अनुमोदित होना आवश्यक होगा।
- (6) साधारण सभा की वार्षिक बैठक के 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित होगी जिसमें आने वाले वर्ष की मुख्य गतिविधियों (जिसमें बजटीय स्वीकृति, विभिन्न मदों के लिए स्वीकृति आदि शामिल होंगे।) का निर्धारण किया जाएगा। एक बार बजट स्वीकृत होने पर यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार के व्यय का उचित उपयोग सुनिश्चित करें। अध्यक्ष चाहे तो संस्था के संरक्षक/उप-संरक्षक के सुझाव ले सकता है।

18. संस्था का अंकेक्षण (ऑडिट) :-

संस्था के समस्त लेखा-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) कराया जाएगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्धन :-

1. संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन साधारण सभा की वार्षिक बैठक अथवा विशिष्ट बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जा सकेगा बशर्ते इस प्रकार का साधारण सभा का निर्णय कम से कम आधे एलुमनस बैचों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित हो।

2. उपरोक्त बैठक को कोरम साधारण सभा की वार्षिक बैठक से दोगुना (150 सदस्यों की उपस्थिति) या कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य (जो भी कम हो) होना आवश्यक होगा।
3. किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव या तो कार्यकारिणी एवं प्रबंधन समिति(बहुमत से) द्वारा अथवा साधारण सभा के कम से कम 100 सदस्यों (जिनमें 10 बैठों के बैठ प्रतिनिधि शामिल हों) के लिखित हस्ताक्षर पर ही रखा जा सकेगा।
4. इस प्रकार का विधान परिवर्तन व परिवर्धन का आवेदन कम से कम 30 दिन पूर्व सचिव को दिया जाएगा जिसमें चाहे गए बदलावों की सूची व नए बदलावों के सुझाव एवं कारण लिखित में होंगे। इस प्रकार का आवेदन साधारण सभा के विचार-विमर्श में सहयोगी रहेगा।
5. इस प्रकार का लिखित आवेदन आने पर सचिव एलुमनाई सदस्यों को बैठक के लिए लिखित में सूचित करेगा तथा यह सूचना बैठक से कम से कम 20 दिन पूर्व दि जाएगी जिससे की चाहे गए परिवर्तन पर सदस्यों को विचार-विमर्श करने का उचित समय मिले। सचिव इस प्रकार के नोटिस को बैठ प्रतिनिधियों पर भी प्रत्यक्ष रूप से तामील करना सुनिश्चित करेगा ।
6. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन अथवा संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जाएगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के रिकॉर्ड (लेखे जोखे) का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्था को संस्था के रिकॉर्ड, लेखे जोखे के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जाएगी ।

(प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र एलुमिनाई संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।)